चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 03.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी तथा व्यायाम कराये गये। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल करवाया गया साथ ही आर0टी0सी0 कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु बताया गया तथा प्रतिसार निरीक्षक एवं प्रभारी आरटीसी को आवश्यक आदेश निर्देश दिए। तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द,परिवहन शाखा,बैरिक,सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कमियों में सुधार हेतु बताया गया। बाद भ्रमण कर्मचारियों का अर्दली रूम किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम ने दहेज हत्या के नामजद अभियुक्ता को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.09.2025 को वादी नन्दकिशोर पुत्र स्व0 मिर्चीलाल निवासी रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 23.09.2025 को रात्रि 09.00 बजे वादी के मोबाइल नंबर 9559935460 पर फोन आया और बताया कि आपकी बेटी को उसके ससुरालीजन ने मार डाला है, तब वादी जिला अस्पताल सोनेपुर रात्रि लगभग 09.40 पर पहुंचा और देखा कि प्रार्थी की पुत्री को अस्पताल में बने शव गृह में रखवाया गया है,पता करने पर पता चला कि वादी की पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। वादी की पुत्री को ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज के लालच में मार डाला गया है । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 61/2025 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम पति कौशल किशोर,ससुर चुनवाद,सास सुंता देवी,जेठानी चुन्नी निवासी रूकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.01.2026 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्ता श्रीमती सुन्ता उर्फ सुनीता देवी पत्नी चुनवाद निवासी ग्राम नयापुरवा मजरा रूकमाखुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना बहिलपुरवा
2.मुख्य आरक्षी कल्लू खां
3.महिला आरक्षी रीना यादव

(4). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशानुसार पुलिस लाइन जनपद चित्रकूट में आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 445 रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार फायरिंग अभ्यास पूर्ण कराये जाने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन्स चित्रकूट को फायरिंग बट दिनांकः05.02.2026 से 09.02.2026 तक के लिए आरक्षित की गयी है।

अत: दिनांक 05.02.2026 से दिनांक 09.02.2026 को पुलिस लाइन चित्रकूट क्वार्टर गार्द के पीछे स्थित फायरिंग बट के आस पास समय प्रात: 08.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति के आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।

इस समय अवधि के बीच यदि कोई व्यक्ति फायरिंग बट के आस पास जाता है तो किसी भी घटना/दुर्घटना का जिस्मेदार वह स्वयं होगा। इसमें पुलिस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने दहेज के लिए प्रताडित व आत्महत्या के करने लिए उकसाने वाले वाँछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 19.01.2026 को वादी संतोष त्रिपाठी पुत्र सुनील त्रिपाठी निवासी ग्राम जरर थाना गिरवां जनपद बांदा ने सूचना दी थी कि पति सुभाष पाण्डेय,अशोक पाण्डेय(जेठ),पुत्रगण जगदीश पाण्डेय 3.जावित्री पत्नी अशोक पाण्डेय(जेठानी) 4.रानी पत्नी जगदीश पाण्डेय(सास), 5.जगदीश पाण्डेय पुत्र देवीदयाल(ससुर) निवासीगण ओरन थाना बिसण्डा जनपद

बांदा द्वारा वादी की बहन प्रियंका की हत्या कर देना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 39/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) का तरमीम धारा 108 व बढ़ोतरी धारा 85 बीएनएस 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी ।
आज दिनाँक 03.02.2026 को श्री विनोद कुमार शुक्ला निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी व उनकी टीम द्वारा मुकदमें के नामजद वाँछित अभियुक्त शुभाष पाण्डेय पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम ओरन थाना बिसण्डा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.श्री विनोद कुमार शुक्ला निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी विपिन कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस बल टीम द्वारा शब-ए-बारात के दृष्टिगत कोतवाली कर्वी क्षेत्र एलआईसी तिराहा,लक्ष्मनपुरी विवादित स्थल,भगवानदीन चौराहा,काली देवी चौराहा, कजियाना मोहल्ला का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ताकि अराजक तत्व द्वारा माहौल खराब न किया जा सके तथा मुसलिम समुदाय के लोगो को शबे –ए- बारात की शुभकामनाये देते शांति एवं सौहार्दपूर्ण शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरुप त्यौहार को सकुशल समपन्न कराये जाने के लिये लोगो से अपील की गयी।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।
आवेदिका सविता देवी पत्नी बुधराज निवासी पहाड़ी जनपद चित्रकूट ने अपने पति व ससुरालीजनों के विरूद्ध मारपीट करने व घर से निकालने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 03.02.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2013 धारा 308/34,323,504,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1.छोटे सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी अर्की थाना राजापुर 2.अनुरोध सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम सरधुवा थाना राजापुर 3.विकास सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2013 को वादी पदुम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सरधुवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा लाठी डण्डो से मारकर घायल करने जिससे वादी के भाई बेहोश हो जाना, भयाहू को लात घूसों से मारकर घायल करना व जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 111/2013 धारा 308,323,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी,विवेचक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 02.07.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय द्वारा खनिज अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशू पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 03.02.2026 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 695/2008 धारा 379 भादवि0 व 70 उ0प्र0 लघु खनिज अधिनियम 1963 के आरोपी अभियुक्त जमशेद अहमद पुत्र फारुख अहमद निवासी कस्बा सोरांव थाना इलाहाबाद प्रयागराज को जेल में बिताई गई अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।